**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4057**
**उत्तर देने की तारीख 17 जुलाई, 2019**

**मोबाइल टावरों के अधिष्ठापन हेतु**
**दिशानिर्देश**

**4057. श्रीमती प्रतिमा भौमिक; श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे; श्री पी.पी. चौधरी; श्री देवजी पटेलः**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मोबाइल फोन टावरों के बेरोकटोक अधिष्ठापन को रोकने हेतु नए दिशानिर्देश लाने पर विचार कर रही है जिससे आमजन को ईएमएफ-विकिरण से बचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ईएमएफ विकिरण के घातक प्रभाव के मद्देनजर देशभर में इन टावरों के घनत्व को सीमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में मौजूदा मोबाइल टावर घनत्व और औसत ईएमएफ-विकिरण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री रवि शंकर प्रसाद)**

(क) और (ख) जी, नहीं। संचार मंत्रालय की मोबाइल टावरों की स्थापना को रोकने से संबंधित कोई भी नए दिशा-निर्देश तैयार करने की योजना नहीं है।

मोबाइल टॉवरों से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) संबंधी उत्सर्जन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में यह सूचित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पूरे विश्व में पिछले 30 वर्षों में प्रकाशित लगभग 25,000 लेखों का उल्लेख किया है और साथ ही वैज्ञानिक साहित्य का गहन अध्ययन करने के आधार पर यह उल्लेख किया है कि *"कुछ लोगों के ऐसा सोचने के बावजूद कि अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक जानकारी अधिकांश रसायनों की तुलना में अधिक व्यापक है।"* डब्ल्यूएचओ ने इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि *"वर्तमान साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि न्यून स्तर के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से होने वाले एक्सपोज़र से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"*

दूरसंचार विभाग आम लोगों की सुरक्षा के लिए वैश्विक विकास की निगरानी कर रहा है और इस विभाग द्वारा मोबाइल टॉवरों से उत्सर्जित होने वाले ईएमएफ से सुरक्षा के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अपेक्षाकृत कठोर मानकों को अपनाया गया है। डब्ल्यूएचओ की समीक्षा से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष यह है कि गैर-आयनिकृत विकिरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय आयोग (आईसीएनआईआरपी) से

संबंधित अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में संस्तुत सीमाओं से कम ईएमएफ एक्सपोज़र से स्वास्थ्य पर कोई ज्ञात प्रभाव नहीं दिखाई देता है। भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) के लिए एक्सपोज़र सीमा के मानकों को आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित और डब्ल्यूएचओ द्वारा संस्तुत सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक कठोर बनाया गया है।

भारत सरकार ने भी इस संबंध में एक बेहतर-संरचित प्रक्रिया और पर्याप्त व्यवस्था कायम की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इन निर्धारित मानकों का अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है।

(ग) लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार मोबाइल टॉवरों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। भारत में विभिन्न मोबाइल टावरों पर संस्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के लिए यथा-निर्धारित मौजूदा ईएमएफ संबंधी उत्सर्जन के मानकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| फ्रीक्वेंसी सीमा | ई-फील्ड क्षमता (वोल्ट/मीटर) | एच-फील्ड क्षमता (एम्पीयर/मीटर) | विद्युत सघनता (वाट/वर्ग मीटर) |
|---|---|---|---|
| 400 मेगाहर्ट्ज़ से 2000 मेगाहर्ट्ज़ | 0.434 एफ$^{1/2}$ | 0.0011 एफ$^{1/2}$ | एफ/2000 |
| 2 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ | 19.29 | 0.05 | 1 |

(एफ मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी है)

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत सरकार ने इस संबंध में एक बेहतर-संरचित प्रक्रिया और पर्याप्त व्यवस्था कायम की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इन निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 30.04.2019 तक चालू वर्ष के दौरान कुल 21 लाख से अधिक बीटीएस में से केवल 155 बीटीएस ही निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले पाए गए हैं। इसलिए मोबाइल टॉवरों से निकलने वाला ईएमएफ का औसत उत्सर्जित विद्युत घनत्व दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के उपयुक्त है।

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में 'मोबाइल टावरों के अधिष्ठापन हेतु दिशानिर्देश' के बारे में माननीय संसद सदस्यों श्रीमती प्रतिमा भौमिक, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, श्री पी.पी.चौधरी, श्री देवजी पाटिल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 4057 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

दिनांक 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र-वार (एलएसए-वार) मोबाइल टावरों की संख्या का ब्यौरा:

| क्र.सं. | लाइसेंस सेवा क्षेत्र | मोबाइल टॉवरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 43442 |
| 2 | असम | 12762 |
| 3 | बिहार | 39710 |
| 4 | दिल्ली | 26605 |
| 5 | गुजरात | 33400 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 6798 |
| 7 | हरियाणा | 12802 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 9533 |
| 9 | कर्नाटक | 36137 |
| 10 | कोलकाता | 13048 |
| 11 | केरल | 17434 |
| 12 | मुम्बई | 16539 |
| 13 | महाराष्ट्र | 42692 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 41438 |
| 15 | पूर्वोत्तर | 8188 |
| 16 | ओडिशा | 17918 |
| 17 | पंजाब | 20189 |
| 18 | राजस्थान | 30280 |
| 19 | तमिलनाडु | 43187 |
| 20 | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 33872 |
| 21 | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 29120 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 22449 |
| | कुल योग | 557543 |

*****